महिलाओं की सामाजिक स्थिति की विवेचना

मन्जु चौधरी
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान
डॉ. सपना गहलोत
के निर्देशन में
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल
टीबडेवाला, विश्वविधालय
झुंझुनु, (राज.)

(शब्दावली, –ममतामयी, त्यागमयी, वांछित, निन्दनीय, दयनीय, अशिक्षा, स्वनिर्मित, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास)

सारांश

आज जरूरत है नारी को समय की मुख्य धारा से जोडने की। आज की नारी ममतामयी है त्यागमयी है महिलाएं त्याग के बलबुते पर समाज के हर पहलु से जुडी हुई है। वह आत्मनिर्भर और पढी लिखी है एवं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक है इनकी शिक्षा से आज नौकरी पेशा महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। हमारे समाज में महिलाओं की निःस्वार्थ सेवा हर क्षेत्र में है। कामकाजी महिलाएं तो दोहरी भूमिका निभा रही है समय के साथ भारतीय महिलाओं के कदम आगे बढ रहे है। आज वह देवी ना बनकर सही अर्थो में इंसान बनना चाहती है। आखिर समय आ गया है कि महिलाओं को अधिकार देने तथा उन्हें लैंगिक भेदभाव से मुक्ति दिलाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं और कमियों पर विचार किया जाए यह समझे कि केवल साधनों की उपलब्धी से ही वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नही होगी इसके लिए लोगों की सोच में परिवर्तन लाया जाए।

महिलाओं की स्थिति

हमारे देश में महिलाओं की स्थिति सदैव समान नही रही है। इनकी स्थिति में विभिन्न युगों में परिवर्तन होते रहे है। महिलाओं की स्थिति में वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक परिवर्तन हुए है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। परिवार और समाज में उन्हें सम्मान दिया जाता था। उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी था। और सम्पति में भी पुरूषों के बराबर अधिकार मिले हुए थे। सभाओं में भी स्वतन्त्र रूप से भाग लेती थी। ऋग्वेद काल में महिलाओं के सम्मान में कमी आई। उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाने लगा। पहले महिलाओं को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी किन्तु धीरे–धीरे उनकी स्वतन्त्रता पर अंकुश लगने लगा उनके सम्मान में कमी आने लगी। उनके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। धीरे–धीरे महिलाओं के लिए कठोर नियम बनने लगे शिक्षा व्यवस्था समाप्त कर दी गई पर्दा प्रथा को कठोरता से समाज में लागू किया गया। वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था उन्हें अर्द्धांगिनी माना जाता था। ''यत्र नार्यस्तुं पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' यह कहकर सम्मान का स्थान प्रदान किया गया। पौराणिक काल में महिलाओ को देवी के रूप में पुजा जाता था उन्हे शक्ति का प्रतीक माना जाता था। परन्तुं 11 वीं शताब्दी में ब्रह्य आक्रमणकारीयों के साथ ही उनकी स्थिति दयनीय होने लगी। यह काल महिलाओं की स्थिति, सम्मान एवं सशक्तिकरण के अंधकार का युग था। विदेशी आक्रमण, मुगल शासन, सामन्ती व्यवस्था और शासकों की विलासिता ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया इस कारण बाल विवाह, अशिक्षा, पर्दाप्रथा, सती प्रथा आदि सामाजिक कुप्रथाओं का समाज में जन्म हुआ। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति हीन हो गई। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो गई। अशिक्षा, रूढिवादिता एवं चार दीवारी में कैद हो गई। नारी सबला की जगह अबला बन गई। 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में आर्य समाज, ब्रह्य समाज आदि संस्थानों ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिए। समाज सेविकों में राजाराममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, ईश्वरचन्द विद्यासागर आदि ने समाज की कुरीतियों के विरूद्ध आवाज उठाई। इन्होनें तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के सामने बाल विवाह, बहु विवाह पर रोक , सती प्रथा का विरोध अशिक्षा की रोक की आवाज उठाई। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न कानून बनाये गये। 1829, 1856 में हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1891 बहु विवाह पर रोक के लिए कानून बनाये गये। इन कानुनों से आने वाले समय में महिला अधिकारों में जागरूकता बढी। नये संगठन बने जिनकी मुख्य मांगे स्त्री शिक्षा, दहेज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक और महिला शिक्षा की मांग की गई। महिलाओं की स्थिति में सुधार ब्रिटिश काल से शुरू हो गया। इस काल में समाज की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए। शिक्षा का

विस्तार, सामाजिक सुधार आंदोलन व महिला संगठनों का उदय, महिलाओं की स्थिति में सुधर की शुरूआत की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एवं विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया गया। महिलाओं को शिक्षा उचित व्यवस्था उपलब्ध कराके उन्हें अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति सजग किया। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए।

राजनीतिक स्थिति में महिलाओं की भूमिका

स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति इस बात से जानी जा सकती है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण और उसके भाग लेने के मामले में उन्हें कितनी समानता और आजादी प्राप्त है और इस संदर्भ में उनके योग को समाज कितना महत्त्व देता है। भारतीय संविधान में स्त्रियों की राजनीतिक सत्ता को मान्यता दिया जाना न केवल परम्परागत भारतीय समाज से विरासत में प्राप्त प्रतिमानों की तुलना में एक बिलकुल नया कदम था अपितु उस समय के सर्वाधिक उन्नत देषों के राजनीतिक आदर्षो से भी बढ़कर था। समाजवादी देषों को छोड़कर संसार में किसी अन्य राज्य ने स्त्रियों की समता को स्वाभाविक रूप में स्वीकार नहीं किया है स्त्रियों की राजनीतिक समता की प्राप्ति में जिन दो प्रमुख शक्तियों ने उत्प्रेरकों का काम किया वे थी– राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी का नेतृत्व।

19 वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों के प्रयत्न परम्परागत पारिवारिक ढ़ाँचें में ही स्त्रियों की स्थिति सुधारने तक सीमित थे। किन्तु 19 वीं और 20 वीं शताब्दी के संधि स्थल पर स्त्रियों का एक छोटावर्ग अपने घरों से बाहर समाज कल्याण की गतिविधियों में विषेषतः स्त्री षिक्षा समाज में दुर्बल वर्गो के कल्याण और संकटग्रस्त लोगों की सहायता के कार्य में स्वेच्छा से भाग लेने लगा। इससे भी छोटे एक समूह ने क्रान्तिकारी आंदोलन में भाग लिया 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो मे महिला संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होनें राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरु की 1917 में श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिटिष संसद में पुरुषों के साथ समता के आधार पर स्त्रियों के मताधिकार दान के लिए मांग पेष की। 1921 के सुधार अधिनियम ने केवल उन गृहिणियों को मताधिकार दिया जो संपन्नता तथा षिक्षित थी। विदेषी शासकों को यह विष्वास ही नहीं होता था कि भारतीय समाज भी कभी स्त्रियों को पुरुषों का बराबर का साझेदार मानेगा। वे स्वयं भी स्त्रियों को एक अलग राजनीतिक शक्ति नही मानते थे।

इन सभी दृष्टिकोणों से बिलकुल भिन्न दृष्टिकोण महात्मा गांधी का था। उन्होंने स्वयं की स्त्रियों के अधिकारों के मामले में किसी तरह का समझौता न करने वाला घोषित कर दिया था। उनका विष्वास था कि समाज के पुर्ननिर्माण में स्त्रियों को एक सुनिष्चित भूमिका अदा करनी है और सामाजिक न्याय पाने के उनकी समता के अधिकार को मान्यता देना एक अनिवार्य कदम है। स्त्रियों के मताधिकार दान को भी उन्होंने अपना सतत और सम्पूर्ण समर्थन दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों के भारी संख्या में भाग लेने के साथ मिलकर गांधीजी के इस प्रयास ने राजनीतिक और सामाजिक संभ्रान्त वर्ग पर जिसमें इन वर्गो की स्त्रियां भी सम्मिलित की प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। 1930 में प्रतिनिधि महिला संगठनों की एक बैठक में स्त्री पुरुष के भेदभाव के बिना वयस्क मताधिकार की तत्काल स्वीकृति की मांग की। यद्यपि सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया किन्तु 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेषन ने इसे मान लिया और स्त्रियों की राजनीतिक समता के लिए उनकी स्थिति और योग्यताओ का विचार किए बिना प्रयत्न करने का बीड़ा उठाया यह वचन स्वतंत्रता के बाद पूरा हुआ तब संविधान ने राष्ट्र को समता के सिद्धान्तों का पालन करने और व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आदर करने का वचन दिया तथा राजनीतिक एवं विधिक समता के बारे में स्त्रियों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की और सरकार के अधीन रोजगार और कार्यालयों में भेदभाव का व्यवहार न होने देने का आष्वासन दिया।

स्वतंत्रता प्राप्त के पष्चात के वर्षो में भी इन अधिकारों को स्थिति व अवसरों की सामान्य समता तथा सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्राप्त करने का साधन माना गया स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए तीन मुख्य कसौटियाँ अपनाई जा सकती है।

अ चुनावों में मतदाताओं और उम्मीदवारों की हैसियत से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना।

ब राजनीति में सजगता वचनबद्धता और सक्रिय सहभागिता जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाना तथा राजनीतिक कार्यवाही और व्यवहार में स्वायत्ता का निर्वाह करना।

स राजनीतिक प्रक्रिया पर उनका प्रभाव जानना।

महिलाओं के विकास की स्थिति

विकास वह दषा है जिसे लोगों के जीवन की परिवर्तन प्रक्रिया में उनके कल्याण का उच्चतर जीवन स्तर आदि उद्देष्य की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है विकास एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो प्रजातांत्रिक विकासषील राष्ट्र के लोगों की आषा आकांक्षाओं से संबद्ध होती है यदि इसे मानव कल्याण के रूप में उनके पूरे सांस्कृतिक वातावरण से संबद्ध किया जाए वो विकास का अर्थ जन सामान्य के लिए सार्थक हो जाएगा अर्थात विकास का तात्पर्य सदैव समाज के द्वारा बिना उनकी सांस्कृतिक धरोहर व प्रतिमानों व दूसरों की रूचियों को नष्ट किए बिना ही उच्चता की ओर परिवर्तन से है।

शोधकर्त्ताओं के अनुसार महिला व पुरुष पर विकास के प्रभाव में भिन्नता दिखाई गई हैं। उनके अध्ययनों से विदित हुआ है कि विकास प्रभावों की इस भिन्नता के कारण समाज व परिवार में महिलाओं का विषिष्टीकरण हुआ है। यह प्रभाव साधनहीन परिवारों तथा जनसंख्या के उन वर्गो में दृष्टिगोचर होते है जहां महिलाएं अभी तक परिवार के लिए आर्थिक क्रियाओं के संपादन के बावजूद भोजन बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि से संबंधित कार्यो का संपादन करती है। ऐसे में कार्यक्रमों की क्रियान्वित का अर्थ भी केवल परिवार की आय में वृद्धि से ही लिया जाता है न कि अनिवार्य रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार से यद्यपि यह निर्विवाद सत्य है कि महिलाएं उत्पादन प्रक्रिया में अनेक प्रकार से काम लेती है तथापि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें प्रषिक्षण व समर्थन सेवाएं प्रदान की जाएं। तो उन्हें अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। चूंकि विकास परिवर्तनों का ही पर्याय है। अतः किसी क्षेत्र अथवा वर्ग के विकास संबंधी मुद्दे का आंकलन करने हेतु परिवर्तन से पूर्व अथवा पश्चात की सभी सकारात्मक व नकारात्मक परिवर्तनों की स्थितियों का अवलोकन आवष्यक है भारत में महिलाओं के विकास का आकलन व अवलोकन करने हेतु भी उन सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक घटकों की ओर दृष्टिपात करना होगा जिनके कारण नीति–निर्माता, योजक, प्रषासक तथा कार्यकर्त्ता उनकी सम्पूर्ण स्थिति को प्रदर्षित करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

19 वीं सदी से 21 वीं सदी तक आते–आते महिलाओं की स्थिति में पुनः सुधार हुआ और महिलाओं ने खेलकुद, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। वर्तमान में महिलाएं स्वनिर्मित, आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनकर पुरूषों के बराबर योग्यता प्रदर्शित की है।

राजनीति, खेलकुद, शिक्षा , डॉक्टर, नर्स, इंजिनियर, समाज सेविका आदि अनेक कार्यो में महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर श्रीमति प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री पद पर श्रीमति इन्दिरा गांधी, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर श्रीमति मीरा कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री पद पर वसुधरा राजे , मायावति, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, जयललिता आदि महिलाएं राजनीति के शीर्ष स्तर पर है। सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक महिलाओं का योगदान रहा इनमें मुख्यतः सुधामूर्ति, मेधा पाटकर, किरण मजूमदार आदि और खेल जगत में पी टी उषा, सानियां मिर्जा , अंजु चौपडा आदि महिलाओं ने ख्याति प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करके अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, आई. पी. एस. किरण बेदी आदि ने बुद्धि कौशल का परिचय दिया।

पुरूषों की सोच में परिवर्तन आया है महिलाएं नौकरी करके धन कमाने लगी है परिवार को आर्थिक सहायता मिलने लगी है। और पुरूषो की मानसिकता में बदलाव आया है अब महिलाओं को पुरूषों के समान दर्जा दिया जाने लगा है आज महिलाओं की नौकरीपेशा में पुरूषों के बराबर स्थिति हो गई है। ये किसी भी क्षेत्र में पुरूष से पिछे नही है। हमारे देश में 21 प्रतिशत सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्यरत पद पर महिलाएं है।

यदि हमें देश एवं समाज का विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होगा तो समाज का विकास स्वतः हो जायेगा।

महिलाओं को शिक्षा देने और समाज सुधार आंदोलनों से समाज में जागरूकता आई है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन आया है।

संवैधानिक अधिकारों में कानूनों के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिए गए है। जिनसे इनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। कानून के द्वारा दहेज पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। वातावरण अधिक समताकारी होने से महिलाओं को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिलने लगे। महिला शिक्षा को समाज का आधार माना गया है अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वह दो परिवारों को शिक्षित करती है। महिला ही माता के रूप में अपने बच्चे

की प्रथम शिक्षक बनती है। आज समय एवं परिस्थितियों ने महिला शिक्षा को समाज एवं देश के लिए अनिवार्य बना दिया है।

21 वीं सदी को महिला सदी माना है वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया इसमें महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें सशक्त बनाने तथा महिलाओं की स्थिति सुधार के संबंध में जागरूक बनाने के प्रयास किए गए संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए है।

आज देखने में आया है कि महिलाओं ने अपने अनुभव, मेहनत एवं आत्मविश्वाास के आधार पर नये रास्तों का निर्माण किया है।

वर्तमान में सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं का संचालन तो किया जा रहा है लेकिन इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से नही पहुंच पा रहा है।

यह सच है कि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में अनेक बदलाव आये है। किन्तु अभी भी अनेक स्थानों पर पुरूष प्रधान मानसिकता से पीडित है हमें प्रयास करना चाहिए कि महिलाएं अपनी समस्याओं को सही ढंग से सुलझा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1ण राम, आहुजा (1999)'' भारतीय सामाजिक व्यवस्था'', रावत प्रकाशन, जयपुर, नई दिल्ली

2ण सिंह, करण बहादुर, (2006) ''महिला अधिकार एवं सशक्तिकरण'', कुरूक्षेत्र आर्य

3ण गौतम हरेन्द्र राज, ''महिला अधिकार संरक्षण'', कुरूक्षेत्र

4ण भाग्यलक्ष्मी जे, (1998),''पंचायती राज एम्पावरिंग द पिपुल योजना'', जुलाई

5ण मिश्रा स्वेता, (1997), ''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता, ग्रामीण विकास न्यूज लेटर जुलाईं

6ण रानी, ए. कल्याणी (2002), इमर्जिंग पैटर्न ऑफ रूरल वुमैन लीडरशिप इन इण्डिया, कल्याण पटिलशर्स, दिल्ली

7ण जैन, उर्मिला (2002)श पंचायतो मे निर्वाचित महिलाओ का राजनीतिक समीकरणश राधाकमल मुकर्जी चिंतन परम्परा, जनवरी–जून पृ.48–55

8ण सिंह, दिनेष कुमार (2002) श्रूरल वूमेन इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल पारटिसिपेषनश विवेकानन्द एजुकेषन रिसच एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी आगरां, वो. 1, जुलाई पृ.73–77

9ण सिंहा, मधुक्षी (2002) श्सर्वागीण ग्रामीण विकास में महिलाओ की भूमिका–एक सामाजिक अध्ययन कुरूक्षेत्रश ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्ष 47, वो. 5, मार्च पृ. 22–28